

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा



पीठासीन अधिकारी—नरेश कुमार शर्मा
आई०ए०एस०

प्रा० पत्र सं० 09/2010

सरकार जरिये तहसीलदार, (भूमिधारी) दौसा

..प्रार्थी

बनाम

मुरारी लाल पुत्र टूण्डा जाति मीना निवासी धरणवास तहसील दौसा जिला दौसा
..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ०धा० 14 (4)
भू-आवण्टन नियम-1970

उपस्थिति-1. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 16.01.2018

संक्षिप्त वृत्तांत प्रा० पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 31.05.1989 को ग्राम धरणवास तहसील दौसा के आ०ख०नं० 457 रकबा 0.11, 480 रकबा 0.04 व 481 रकबा 0.04 कुल रकबा 0.19 है० भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ०धा० 14 (4) भू-आवण्टन नियम-1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा० पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि अप्रार्थी को दिनांक 31.05.1989 को ग्राम धरणवास तहसील दौसा के आ०ख०नं० 457 रकबा 0.11, 480 रकबा 0.04 व 481 रकबा 0.04 कुल रकबा 0.19 है० भूमि आवण्टित की गई थी। किंतु अप्रार्थी द्वारा आवण्टित भूमि का आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। अतः आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण आवण्टन निरस्त योग्य है। आवंटन निरस्त किया जावें।

अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी जाँच पटवारी हल्का से करवाई गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीगण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 31.05.1989 को ग्राम धरणवास तहसील दौसा के आ0ख0नं0 457 रकबा 0.11, 480 रकबा 0.04 व 481 रकबा 0.04 कुल रकबा 0.19 है0 भूमि का आवंटन किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि की शर्तों की पालना नहीं की गई। क्योंकि मौके पर आज भी भूमि खाली (पडत) पडी हुई है तथा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। जबकि आवंटन हुए लगभग 28 वर्ष बाद भी गैरखातेदारी दर्ज है। इससे स्पष्ट होता कि आवण्टित भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा कोई उपयोग नहीं किया जा रहा और आवण्टित भूमि की काश्त में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। जिससे आवण्टित भूमि के प्रयोजन ही समाप्त हो जाते हैं। अप्रार्थी बावजूद तामिल उपस्थित ही नहीं हुए। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आवण्टन खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 31.05.1989 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 16 जनवरी, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

